कार्यालय, प्राचार्य शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय
तोकापाल, जिला – बस्तर (छ0ग0)
ACCREDITED BY NAAC WITH " (B) "GRADE

www.govttokapalcollege.in// govttokapalcollege@gmail.com

क्रमांक /98/अतिथि व्याख्याता/2025 तोकापाल, दिनांक 26/07/2025

–: अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन हेतु विज्ञप्ति :–

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23/07/2025 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र./ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/07/2025 के अनुसार शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल में विभिन्न विषयों के अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 04/08/2025 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिसटर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताऍ तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यार्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय एवं पदों का विवरण

क्रमांक	विषय	रिक्त पद की संख्या
1.	अंग्रेजी	01
2.	वाणिज्य	01
योग:–		**02**

टीप:– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

शर्तेः–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र 10वी, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम,फिल/पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. **दिनांक 04/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर** आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मूरिट सूची तैयार की जायेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की **पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 06/08/2025** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार **अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 06/08/2025** तक होगी।
6. **अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08/08/2025 को किया जायेगा** जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता महाविद्यालय/प्राचार्य, शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा। और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही, संबंधित संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय
तोकापाल, जिला–बस्तर (छ0ग0

पृ. क्र./99/अतिथि व्याख्याता/2025 — **तोकापाल, दिनांक 26/07/2025**

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त उच्च–शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय जगदलपुर, जिला–बस्तर [छ0ग0] को सूचनार्थ।
4. शासकीय महाविद्यालय.. को इस निवेदन के साथ कि इसे सूचना पटल पर चस्पा करें।
5. कार्यालयीन फाईल सूचना।

प्राचार्य
शहीद हरचंद नाईक शासकीय महाविद्यालय
तोकापाल, जिला–बस्तर (छ0ग0